न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 82 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. जयसिंह पुत्र बाघसिंह 2. राधादेवी पत्नी बाघसिंह 3. जोगसिंह पुत्र लुणसिंह 4. अनोपसिंह पुत्र लुणसिंह 5. सरजुदेवी पत्नी लुणसिंह 6. श्रवणकुमार पुत्र सोहनसिंह 7. ओमप्रकाश पुत्र धोराराम 8. बाबुसिंह पुत्र धोराराम 9. रामचंद्र पुत्र धोराराम 10. सुरेशकुमार पुत्र धोराराम जातियान खारवाल निवासीयान पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. गफुरखां पुत्र मुसेखां 2. समदेखां पुत्र मुसेखां 3. लतीबखां पुत्र मुसेखां 4. फतेहखां पुत्र मुसेखां 5. हबीबखां पुत्र मीलखां 6. अब्दुलखां पुत्र मीलखां जातियान मुसलमान, निवासीयान सिंधियों की ढाणी, मण्डापुरा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 7. योगेश पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुरोहत निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर 8. आनन्द कुमार भैरूलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर 9. हैदरखां पुत्र धुमेखं का.मु. 9/1नूरेखां पुत्र हेदरखां 9/2गनीखां पुत्र हेदरखां 9/3आसीनखां पुत्र हैदरखां 9/4भट्टेखां पुत्र हैदरखां निवासी सिंधियों की ढाणी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 10. वीणा पुत्री नवलकिशोर पत्नी दीपक बसंल जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 11. श्रीमान तहसीलदार पचपदरा 12. ललिता पत्नी घीसुलाल गेमावत जाति जैन साकिन पाली तहसील व जिला पाली 13. प्रियंका पत्नी नरेश जाति जैन निवासी व्यावर तहसील व जिला अजमेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148 / 2021 बअनवान जयसिंह वगै. बनाम गफुर खां आदेश दिनांक 10.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. ब्रीफ हॉल्डर वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07, 09 का.मु. की ओर से।
3. वकील श्री लाधूराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 12, 13 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 30.09.2022

अपीलकर्तागण की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा सिधिंयों की ढाणी, पटवार हल्का पचपदरा जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 12.10 बीघा, खसरा नम्बर 115 रकबा 03.14 बीघा, खसरा नम्बर 116 रकबा 03.13 बीघा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1.08 बीघा सहित मौजा मण्डापुरा, पटवार हल्का पचपदरा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 129 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नम्बर 130 रकबा 01.01 बीघा, खसरा नम्बर 131/979 रकबा 13.15 बीघा कुल रकबा 37.19 बीघा की स्थित है। अपीलाकर्तागण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया तथा उसके साथ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर वहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने वहस निवेदन किया कि अपीलकर्तागण की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा सिधिंयों की ढाणी, पटवार हल्का पचपदरा जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्वर 113 रकवा 12.10 वीघा, खसरा नम्बर 115 रकबा 03.14 बीघा, खसरा नम्वर 116 रकवा 03.13 वीघा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1.08 बीघा सहित मौजा मण्डापुरा, पटवार हल्का पचपदरा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 129 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नम्वर 130 रकवा 01.01 बीघा, खसरा नम्बर 131/979 रकबा 13.15 बीघा कुल रकवा 37.19 वीघा स्थित है। अपीलकर्तागण ने उनके दादा स्वर्गीय नवलाराम की फौतगी मृत्यु के संवंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है है जिसें अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जान संभव नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07, 09 का.मु. ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खतेदार है। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2021 को जो आदेश पारित किया गया वो एकपक्षीय पारित किया गया। उतरदातागण की अनुपस्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इंजेक्शन जारी किया गया जो कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त रेस्पोडेंटस का जिसे प्राप्त करने हेतु अपीलांटगण ने कोई दावा नहीं किया गया। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी पर वक्त बेचान से काबिज है। रेस्पोडेंटस के पक्ष में हुए बेचान के आधार पर नामान्तकरण भरा गया जिसे आज तक अपीलांटगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई जिसे अपीलांटगण ने मौन स्वीकृति दी गई। बेचान गलत हुआ है तो बेचान को निरस्त करने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है। अपीलांटगण द्वारा किया गया दावा अपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णत पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 12, 13 ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खतेदार है। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2021 को जो आदेश पारित किया गया वो एकपक्षीय पारित किया गया। उतरदातागण की अनुपस्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इंजेक्शन जारी किया गया जो कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी पैतृक है इस बाबत कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन आराजी का रेस्पोडेंटस के पक्ष किये गये बेचान वोईडेबल है वोईड नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर हम रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण द्वारा सुदीर्घ अवधि के पश्चात दावा पेश किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आराजी में अपीलांटगण का हक हिस्सा है या नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य सबूतों से तय होना हैं। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने कई निर्णयों में अवधारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश अपील पोषणीय नहीं है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148/2021 बअनवान जयसिंह वगै. बनाम गफुर खां आदेश दिनांक 10.09.2021 को यथावत रखा जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उनके समक्ष विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के आवेदन का उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर अधिकतम दो माह में निस्तारण करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.10.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर